उत्तर प्रदेश शासन,
विकलांग कल्याण अनुभाग'3
संख्या-15/डी0एस0-11/65-3-2014-07(वि0वि0)/2013
लखनऊ: दिनांक: 23 जनवरी,2014

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डा0 शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय अधिनियम- 2009 की धारा 21 में दी गयी व्यवस्था के अधीन विश्वविद्यालय के विद्या परिषद का गठन निम्नांनुसार किया जाता है:-

(1)	कुलपति,	अध्यक्ष ।
(2)	प्रख्यात शिक्षाविदों या विद्वानों या किसी वृत्ति के सदस्यों या प्रख्यात सार्वजनिक व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो, सामान्य परिषद के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेगे,	सदस्य ।
(3)	निदेशक विकलांग कल्याण विभाग उ0प्र0 सरकार या उनके नाम निर्देशिती जो उपनिदेशक से निम्न स्तर का न हो,	सदस्य ।
(4)	विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष	सदस्य ।
(5)	विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य,यदि कोई हो,	सदस्य ।
(6)	अध्यापन कर्मचारीवृन्द (टीचिंग स्टाफ) के दो सदस्य जिनमें से एक-एक सदस्य विश्वविद्यालय के उपाचार्य और प्राध्यापकों का प्रतिनिधित्व करेंगा,	सदस्य ।

2- पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि 03 वर्ष की होगी।

3- विद्या परिषद के गठन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-21 की उपधारा (3),(4),(5),(6)एवं (7 के उपलब्ध विद्या परिषद सदस्यों पर प्रभावी होंगे।

4- विद्या परिषद की शक्तियां और कृत्य वैसे ही होंगे जैसा कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 22व 23 में निहित है।

http://shasanadesh.up.nic.in

मनोज कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-15/डी0एस0-11(1)/65-3-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल।

2- प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री उ0प्र0।

3- कुलपति,उ0प्र0, विकलांग उद्धार डा0 शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ ।

4- कुल सचिव/वित्त अधिकारी उ0प्र0 विकलांग उद्धार डा0 शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ ।

5- समस्त सम्मानित सदस्यगण।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सुनील कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in